International Journal of Professional Development
Vol.9,No.2, July-Dec.2020 ISSN: 2277-517X (Print), 2279-0659 (Online)
Impact Factor: 2.923(IFSIJ)

सशक्त महिला : सशक्त समाज

Empowered Women: Empowered Society

Dr. Vimlesh Yadav
Associate Professor, Department of Sociology
MMH College Ghaziabad

सार/संक्षेप

महिला सृष्टि निर्माता कि अद्वितीय कृति है, महिलाओं के अधिकार हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे है, एवं महिलाएं भी अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है. नारी देवी का रूप है। महिलाओं के लिए आज समाज में अधिकारों की बात होती है, आखिर ऐसी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। इस अध्ययन में हम यह बताने का प्रयास करेंगे की महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में। इस अध्ययन का उद्देश्य है समाज में महिलाओं का सशक्त महिला सशक्तिकरण होना न केवल महिलाओं के लिए जरूरी है अतः राष्ट्र निर्माण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।

महिला सशक्तिकरण: अवधारणा, अर्थ एवं आयाम

- परिचयात्मक अवधारणा
- अर्थ एवं परिभाषा
- विविध आयाम

1. **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महिलाएं : अतीत से अब तक**
   - प्राचीन काल में महिलाएं
   - मध्यकाल में महिलाएं
   - आधुनिक काल में महिलाएं
2. **महिलाओं की स्थिति**
   - आर्थिक
   - राजनीतिक
   - धार्मिक
   - सामाजिक
3. **महिला सुरक्षा अधिनियम तथा सशक्तिकरण**
   - घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
4. **निष्कर्ष तथा सुझाव**
   - सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र की नींव
   - सशक्तिकरण जागरूकता

www.ijpd.co.in

International Journal of Professional Development
Vol.9,No.2, July-Dec.2020 ISSN: 2277-517X (Print), 2279-0659 (Online)

प्रस्तावना

हम सभी ने यह जरूर सुना है की नारी देवी का स्वरूप है अर्थात नारी को देवी समान पूजा जाता है । यह नई बात नहीं है की नारी को देवी समान माना व पूजा जाता है ।प्राचीन समय से ही महिला का स्थान सम्मानजनक रहा है। परंतु समाज में कुछ ऐसे तत्त्व मौजूद हैं जो कि पहले नहीं थे परंतु अब हैं जिन्होंने महिलाओं की स्थिति पहले से बदतर की है। जिसके परिणामस्वरुप महिलाओं को अपने हित के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। भारतीय समाज पितृ सत्तात्मक समाज है जहां महिलाओं को घर से बाहर निकलने, अपनी शिक्षा के लिए, अपना वर चुनने, अपना भविष्य, अपना लक्ष्य, अपनी आजादी कि मांग केवल पुरुषों से करनी होती है । ऐसे में बेहद जरूरी है महिला आत्मनिर्भर, मजबूत तथा **सशक्त** बने।

कोमल है, कमज़ोर नहीं तू।
शक्ति का नाम ही नारी है।।
जग को जीवन देने वाली।
मौत भी तुझसे हारी है ।।

इस लेख में विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं को सशक्त होना ना केवल महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है बल्कि राष्ट्र निर्माण राष्ट्र विकास में भी बेहद सहायक है ।महिलाओं की प्राचीनतम स्थिति से यह देखने को मिलता है की महिलाएँ सदैव सशक्त तथा मजबूत थी। पुरुषों द्वारा महिलाओं की स्वतन्त्रता का हनन तथा अपना आधिपत्य स्थापित करने का शौक महिलाओं की शक्ति तथा आत्मनिर्भरता को कुचलता चला गया। आज जरूरत है की महिलाएं अपने हित के लिए जागरूक हो। लड़ाई एकमात्र रास्ता नहीं है, महिलाओं को जरूरत है की वह पढ़ें लिखें आत्मनिर्भर बने अपने हित-अहित को पहचानें।

महिला सशक्तिकरण: अवधारणा, अर्थ एवं आयाम

परिचयात्मक अवधारणा: वैसे तो महिलाओं को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं अपने आप में पूर्ण रूप से सशक्त हैं। नारी दुर्गा भी है नारी ममता भी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध या अत्याचार अभी भी बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए समाज में पुरानी सोच वाले लोगों के मन को सामाजिक योजनाओं और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बदलना होगा।

अर्थ एवं परिभाषा

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें।

हालांकि महिलाओं को स्वतंत्रता जन्म से ही प्राप्त होती है। ना ही किसी ऐतिहासिक संस्करण में यह प्रस्तावित है की महिलाओं को पुरुष स्वतंत्रता प्रदान करेगा। जैसे पुरुष को स्वतन्त्रता जन्म से प्राप्त होती है, महिलाओं को भी होती है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्य रूप से पांच कारण हैं:

- महिलाओं में आत्म मूल्य की भावना जगाना
- उन्हें उनके निर्णय लेने की आजादी देना और उनके अधिकार से अवगत कराना
- हर जगह उन्हें पुरुष के बराबर समान अधिकार दिलाना और संबिधान में एक सही जगह बनाना
- चाहें घर हो या बहार उन्हें अपने मन चाहे तरीके से काम करने देने की आजादी
- अधिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को आगे तक ले जाने में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें ये बताना

विविध आयाम

महिला सशक्तिकरण केवल एक आयाम पर आधारित नहीं है बल्कि समाज में उपस्थित बहुत से आयाम हैं जिनमें महिलाओं का सशक्त होना बेहद जरूरी है। महिलाओं को जीवन से सम्बंधित हर एक आयाम को महत्वपूर्ण समझकर उसे अपनी शक्ति बनाना है। वे आयाम कुछ इस प्रकार हैं:-

1. स्वास्थ्य
2. आर्थिक
3. राजनीतिक
4. शैक्षिक
5. भावनात्मक
6. सामाजिक
7. विधिक

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महिलाएं; अतीत से अब तक

प्राचीन काल में महिलाएं: प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही उत्तम तथा सम्मानजनक थी। महिलाओं को देवी का स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतरीन हुआ करती थी। यह वही काल था जब ऋग्वेद को लिखा गया था। महिलाओं को समानता का अधिकार था। पुरुष वर्ग भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता था। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। उदाहरण स्वरूप हम रामायण काल को देख सकते हैं। भगवान राम ने जितने भी अनुष्ठान किए उसमें सीता जी को अपने साथ रखा। जब सीता जी उपस्थित नहीं थीं तब भी उनकी प्रतिमा का इस्तेमाल किया गया। संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार था। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बराबरी का हक प्राप्त था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, अपना भविष्य बनाने तथा शिक्षिका के रूप में काम करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में कई सारी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला इत्यादि शामिल हैं।

मध्यकाल में महिलाएं: मौर्य काल के बाद भारत में कई आक्रांता आए। इस दौरान महिलाओं की स्थिति पर काफी असर पड़ा। उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक स्थिति काफी खराब होने लगी। महिलाओं को पुरुष के दासी के रूप में रखा जाता था। पुरुष के आदेश के बाद ही उन्हें कोई काम करने की स्वतंत्रता थी। मुगल काल आते-आते महिलाओं की दशा और खराब हो गई। उन्हें पर्दे और बंधनों में बंधकर जीना पड़ रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को संविधान में पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिए गए हैं। परंतु आज भी वह समाज में काफी पीछे दिखाई देती हैं। सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और विज्ञान सहित कई अहम क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना दबदबा दिखाया है।

आधुनिक काल में महिलाएं:

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओ का संचालन तो की जा रहीं हैं लेकिन इन योजना ओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्त मान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पु रुष-प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकान न्द का यह कथन उल्लेखनीय है- "किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिला ओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँ चा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारीश क्ति के उद्धारक नहीं,

वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भा रतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति
अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं। "

महिलाओं की स्थिति: विविध आयाम

आर्थिक: आधुनिक भारत में महिलाओं कि आर्थिक स्थिति की तुलना अगर प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत से की जाए तो बहुत सुधर है। महिलाएं पुरुषों के कंधों से कन्धा मिलाकर अपनी और देश कि आर्थिक स्थिति में सुधर पर आतुर हो चुकी हैं। महिलाएं आज उद्यमी के रूप में उभर कर आ रहीं हैं । यहाँ तक की देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है – **निर्मला सीतारमन**। आज देश कि आर्थिक स्थिति इन्हीं के हाथ में है। वंदना लूथरा, VLCC की संस्थापक ,किरण मजूमदार शॉ, Biocon लिमिटेड की संस्थापक और CEO. पार्क होटल की अध्यक्ष प्रिया पॉल फैशन डिजाइनर रितु कुमार Limerod के CEO और संस्थापक सुची मुखर्जी इंद्रा नूयी, Amazon बोर्ड की सदस्य Menstrupedia की को-फाउंडर अदिति गुप्ता और ना जाने कितनी महिलाएं जिनका नाम लिखना एक लेख में मुमकिन नहीं है । परंतु यह दर्शाता है की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रहीं हैं ।

राजनैतिक: सुषमा स्वराज, सोनिया गाँधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, निर्मला सीतारमन, हेमा मालिनी, जया बच्चन, स्मृति ईरानी आज के भारत का रूप हैं। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है। यहाँ तक कि हमारे देश की राष्ट्र पति भी एक महिला रह चुकी है – **प्रतिभा पाटिल।** और आज भी एक महिला ही राष्ट्र पति हैं- **द्रौपदी मूर्मू।** यह हमारे समाज का उत्थान करने में अपना दिन रात एक कर रहीं हैं। फिर भी पता नहीं क्यों महिलाओं को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। महिलाएं चाहें तो क्या नहीं कर सकती बस कदम उठाने कि देर है।

धार्मिक: मध्यकालीन भारत में महिलाओं पर कई तरह के धार्मिक प्रतिबन्ध लगाए गए थे जो आधुनिक भारत में पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता उनका मौलिक अधिकार है। पुरुषों कि भांति ही महिलाएं भी किसी भी धर्म का आचरण करने को स्वतन्त्र हैं।

सामाजिक

वर्षों से महिलाओं ने समाज के अन्याय और पूर्वाग्रह को झेला है। लेकिन आज बदलते समय के साथ उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है, उन्होंने लैंगिक रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ दिया है और अपने सपनों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये मज़बूती से खड़ी हैं। उदाहरण के लिये हम कुछ महिलाओं और उनकी हाल की उपलब्धियों को देख सकते हैं:

1. **सामाजिक कार्यकर्ता**:
   - सिंधुताई सपकाळ(पद्म श्री 2021) – अनाथ बच्चों की परवरिश

2. **पर्यावरणविद्:**
   - तुलसी गौड़ा(पद्म श्री 2021) – वे 'वन विश्वकोश' (Encyclopaedia of Forest) पुकारी जाती हैं
3. **रक्षा क्षेत्र:**
   - अवनी चतुर्वेदी – एकल रूप से लड़ाकू विमान (मिग-21 बाइसन) का उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला
4. **खेल क्षेत्र:**
   - मैरी कॉम – ओलिंपिक में बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला।
   - पीवी सिंधु – दो ओलंपिक पदक (कांस्य- टोक्यो 2020) और (रजत- रियो 2016) जीतने वाली पहली भारतीय महिला।
   - भारतीय महिला क्रिकेट टीम – फाइनलिस्ट (सिल्वर मेडल), राष्ट्रमंडल खेल 2022
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन में:
   - गीता गोपीनाथ – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री।
6. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:
   - टेसी थॉमस – 'मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया' के रूप में प्रतिष्ठित (अग्नि-Vमिसाइल परियोजना से संबद्ध)
7. शिक्षा क्षेत्र:
   - शकुंतला देवी – सबसे तेज़ मानव संगणना का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
   - शानन ढाका – राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा (NDA का पहला महिला बैच) में AIR 1 UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2021 में शीर्ष 3 अखिल भारतीय रैंक महिला उम्मीदवार रहीं हैं ।

महिला सुरक्षा अधिनियम तथा सशक्तिकरण

महिलाओं को आखिर पैदा होते ही सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? क्या यह प्रश्न आपके मन में भी आता है? क्यूँ सुरक्षा की आवश्यकता पुरुषों को नहीं है? इन सब सवालों के जवाब सही मायने में केवल महिलाओं के पास ही हैं। महिलाएं शक्ति हैं, महिलाएं दुर्गा हैं। कहने का सार ये है की महिला सिर्फ शब्दों में ही कमज़ोर हैं। सवाल ये है कि सुरक्षा चाहिए किससे? महिलाओं को सुरक्षा और किसी से नहीं बल्कि इसी समाज में रहने वाले कुछ ऐसे तत्व से चाहिए जो महिलाओं को अपनी पैर की जूती समझते हैं।

महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त, अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रूप से प्रदत्त, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार

का दायित्व है, अनुच्छेद 51 (क) (ड) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

गर्भावस्था में ही मादा भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से लिंग परीक्षण को रोकने हेतु प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 निर्मित कर क्रियान्वित किया गया। इसका उल्लंघन करने वालो को 10-15 हजार रुपए का जुर्माना तथा 3-5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के उद्देश्य से 1961 में 'दहेज निषेध अधिनियम' बनाकर क्रियान्वित किया गया। वर्ष 1986 में इसे भी संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया।

विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत पूर्व में 90 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलता था। अब 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा, 2005" घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है –"प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जाएगा –

- क्षति पहुँचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या
- ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है; या
- दहेज़ या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुकसान पहुँचाना या जोखिम में डालना ; या
- पीड़ित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यांश (क) या (ख) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना; या
- पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुँचाना"

शिकायत किया गया कोई व्यवहार या आचरण घरेलू हिंसा के दायरे में आता है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जाता है।

निष्कर्ष तथा सुझाव

बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़-लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती हैं। अब वह चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भारत में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने समाज में

बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अन्दर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।

जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तामक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाए। भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हो, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति उसके महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की सदी है। महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जाग्रत और सक्रीय हो चुकी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है **"नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी।"** वर्तमान में नारी ने रुढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. Eempowerment of women leads to the empowerment of society" - a study by Dr. Sumita Singh.
2. "Contribution of women's empowerment in the development of society" - by Dr. Rashmi Yadav.
3. "Women's empowerment: a necessity" - by Dr. Subhadra Yadav.
4. "The importance of women's empowerment and its contribution to the development of society" - by Dr. Vandana Sharma.
5. "Progress of society through the empowerment of women" - a study by Dr. Rekha Jain
6. "Improvement of society through the empowerment of women" - by Dr. Svarnimaa Gupta.
7. "Impact of government policies and their implementation for women's empowerment" - by Dr. Aarti Sharma.
8. "Development of society through women's empowerment" - by Dr. Roshni Gupta.
9. "Transformation towards equality in society through women's empowerment" - by Dr. Sakshi Sharma.
10. "Progress in society through the empowerment of women" - a study by Dr. Manju Sharma.

www.ijpd.co.in

11. " Essential sociology" – नितिन सांगवान (आईएएस), सीमा Reprint 2021
12. भारतीय राजव्यवस्था: M Laxmikanth, McGraw hill education (India) private limited
13. भारतीय संविधान-अनुच्छेद 14,15(3),16(1),19(1),21,23,24,25,26,27, 28,29,30,32,39D
14. Press information Bureau – Government document

www.ijpd.co.in